

# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602970

ग्राम क्रमांक : 115192	ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर(मुरादाबाद)	तहसील : मुरादाबाद	जनपद : मुरादाबाद	फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)	भाग : 1	(1) खाता संख्या : 00046
---------------------------	--	----------------------	---------------------	--	------------	----------------------------

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार		(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व
	664वर्ग	1) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास / . / . 2) प्राधिकरण मुरादाबाद / . / .			1384फ	664वर्ग(1151920664200212)	0.4280	1) 1/2 2) 1/2	1) 0.2140 2) 0.2140
								0.4280	

कुल गाटा - 1 कुल क्षेत्रफल - 0.4280 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 6.66 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 0.4280)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6- 9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

664वमि(1151920664200212)

664वमि(1151920664200212)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.3.5.2013के अनुपालन में द्वारा फार्म प.क. 23 के अन्तर्गत खतोनी वर्ष 1420 से 1425फे खाता स्. 42के गाटा स्. 620मि/0.833पर त्रुटि वश खातेदार कमरूददीन का नाम दर्ज करने से छूट गया है की त्रुटि की शुद्धि करते हुये पूर्व खतोनी 1414फ से 1419फ के
- 2) खाता स्. 136के आधार पर गाटा स्. 620मि/ 0.833में कमरूददीन पुत्र हमीद उर्फ छोटे नि0हरथला का नाम वतौर सहखातेदार के रूप में दर्ज हो ह0आर0 के 029.5.13
- 3) 1421फ0आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 19.8.13के अनुपालन में द्वारा फार्म प.क.23.के अन्तर्गत खतोनी वर्ष 1420फ0 से 1425फ0के खाता सं.42के गाटा सं.636अ/0.352 हे0व खसरा नं.636ब/0.506हे0पर त्रुटि वश मु0 अफसरी वेवा छिददा नि0मिलक भोला सिंह का नाम
- 4) छूट गया है की त्रुटि की शुद्धि करते हुए पूर्व खतोनी 1414फ0से 1419फ0के आधार पर गाटा सं.636अ/ 0.352हे0व खसरा नं.636ब/0.506हे0पर उपाध्यक्ष नगर विकास प्राधिकरण के साथ मु0अफसरी वेवा छिददा नि0मिलक भोला सिंह का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हो ा ह0आर0के 0दि20.8.13
- 5) 1421फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद वाद स्. 462/14.2.14को आदेश हुआ कि खाता स्. 42के गाटा स्. 636अ/0.352, गाटा स्. 636ब/ 0.506कुल 2कि ता/0.858हे.लगान वमुजिव खतोनी के वकदर भाग से व खाता स्. 40के गाटा स्. 837/ 0.640हे.लगान वमुजिव खतोनी के वकदर भाग
- 6) से मुतक श्रीमती अफसरी पत्नी स्व0छिददा नि0 मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद क ा नाम खारिज करके उनके स्थान पर मदरसा इस्लामी मडईर्या वाली मस्जिद बाके ग्राम मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर देहात मुतवल्ली गफफार हुसैन पुत्र फहमूद हुसैन नि0मिलक
- 7) भोला सिंह दर्फ सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 13.8.2008के आधार पर संक्र मणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हो ह0आर0के 026.02.14
- 8) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं.टी 20151354013037/15.7.15 को आदेश हुआ कि खाता सं.42 खसरा नं.636अ /0.352हे0व 636ब /0.506हे0 कु ल 2कि ता कु ल रकबा 0.858हे0 के बकदर भाग से विक्र ेता गफफार हुसैन पुत्र फरमूद हुसैन निवासी मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील
- 9) व जिला मुरादाबाद मिनजानिव मुतवल्ली मदरसा इस्लामी मडईर्यों वाली मस्जिद ग्राम मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर देहात मुरादाबाद का नाम निरस्त कर उनके स्थान पर क्र ेता शुजाउल इस्लाम पुत्र जमीरउददीन निवासी ,मौहल्ला मियां सराय तसपुर तहसील व जिला . सम्भल का नाम बजारिये पंजीकृत वनामा दिनांक 26.5.15
- 10) के आधार पर दर्ज हो ह0आर.के...15.7.15

Data Digitally Signed by:RAM SINGH RAWAT(RAGISTRAR KANOONGO)

दिनांक(समय/स्थान): 25-02-2026 11:18:54 तहसील : मुरादाबाद

यह उद्घरण खतोनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : TUSHAR BHADNAGAR तहसील : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 25-02-2026 11:18:54

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतोनी का वैरीफिकेशन

<https://qphibutekh.gov.in> Website पर जाकर अपना QR Code Scan करके किया जा सकता है।

# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602969

ग्राम क्रमांक : 115192	ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर(मुरादाबाद)	तहसील : मुरादाबाद	जनपद : मुरादाबाद	फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00046
---------------------------	--	----------------------	---------------------	--	------------	---------------------------

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
(1) खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
664अ	1) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास / . / . 2) प्राधिकरण मुरादाबाद / . / . 3) रास्ता / . / .	1) अन्य / 1002/2025 / 15-10-2025 / विनिमय	पू 1379फ	664अ(1151920664200112)	0.2310	1) 1/2 2) 1/2 3) -	1) 0.0550 2) 0.0550 3) 0.1210	3.59
							0.2310	

कुल गाटे - 1 कुल क्षेत्रफल - 0.2310 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 3.59 रुपये कुल जोत का क्षेत्रफल - 1 (0.2310) हेक्टेयर

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल (हे.)	नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल (हे.)

क्र.सं- 1002/2025-15-10-2025-विनिमय-RAM SINGHERAWAT-10-11-2025	1.1) प्राधिकरण मुरादाबाद / / (शोध क्षेत्रफल : 0.0550) 1.2) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास / / (शोध क्षेत्रफल : 0.0550)	66436(1151920664200112)	1.1) 0.0605 1.2) 0.0605	1.1) रसीद / / .	66436(1151920664200112)	1.1) 0.1210
---	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.3.5.2013के अनुपालन में द्वारा फार्म प.क. 23 के अत्रगत खतोनी वर्ष 1420 से 1425फे खाता स् ॉ.42के गाटा स् ॉ.620मि/0.833पर त्रुटि वश खातेदार कमरूददीन का नाम दर्ज करने से छूट गया है की त्रुटि की शुद्धि करते हुये पूर्व खतोनी 1414फ से 1419फ के
- 2) खाता स् ॉ.136के आधार पर गाटा स् ॉ.620मि/ 0.833में कमरूददीन पुत्र हमीद उर्फ छोटे नि0हरथला का नाम बतौर सहखातेदार के रूप में दर्ज हो ह0आर0 के 029.5.13
- 3) 1421फ0आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 19.8.13के अनुपालन में द्वारा फार्म प.क.23.के अन्तर्गत खतोनी वर्ष 1420फ0 से 1425फ0के खाता सं.42के गाटा सं.636अ/0.352 हे0व खसरा नं.636व/0.506हे0पर त्रुटि वश मु0 अफसरी वेवा छिददा नि0मिलक भोला सिंह का नाम
- 4) छूट गया है की त्रुटि की शुद्धि करते हुए पूर्व खतोनी 1414फ0से 1419फ0के आधार पर गाटा सं.636अ/ 0.352हे0व खसरा नं.636व 0.506हे0पर उपाध्यक्ष नगर विकास प्राधिकरण के साथ मु0अफसरी वेवा छिददा नि0मिलक भोला सिंह का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हो ा ह0आर0के 0दि20.8.13
- 5) 1421फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद वाद स् ॉ.462/14.2.14को आदेश हुआ कि खाता स् ॉ.42के गाटा स् ॉ.636अ/0.352,गाटा स् ॉ.636ब 0.506कुल 2कि ता/0.858हे.लगान वमुजिव खतोनी के बकदर भाग से व खाता स् ॉ.40के गाटा स् ॉ.837/ 0.640हे.लगान वमुजिव खतोनी के बकदर भाग
- 6) से मृतक श्रीमती अफसरी पत्नी स्व0छिददा नि0 मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद क ा नाम खारिज करके उनके स्थान पर मदरसा इस्लामी मडईयो वाली मस्जिद बाके ग्राम मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर देहात मुतवल्ली गफफार हुसैन पुत्र फहमूद हुसैन नि0मिलक
- 7) भोला सिंह दर्फ सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम पंजीकृ त वसीयतनामा दिने ांक 13.8.2008के आधार पर संक मणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हो ह0आर0के 026.02.14
- 8) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं.टी 20151354013037/15.7.15 को आदेश हुआ कि खाता सं.42 खसरा नं.636अ /0.352हे0व 636ब /0.506हे0 कु ल 2कि ता कु ल रकबा 0.858हे0 के बकदर भाग से विक्र ेता गफफार हुसैन पुत्र फरमूद हुसैन निवासी मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील
- 9) व जिला मुरादाबाद मिनजानिव मुतवल्ली मदरसा इस्लामी मडईयो वाली मस्जिद ग्राम मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर देहात मुरादाबाद का नाम निरस्त कर उनके स्थान पर क्र ेता शुजाउल इस्लाम पुत्र जमीरउददीन निवासी .मौहल्ला मियां सराय तसपुर तहसील व जिला . सम्भल का नाम बजारिये पंजीकृ त वनामा दिनांक 26.5.15
- 10) के आधार पर दर्ज हो ह0आर.के...15.7.15

Digitally Signed by:RAM SINGH RAWAT(RAGISTRAR  
KANOONGO)

दिनांक समय स्थान: 25-02-2026 11:18:39 तहसील : मुरादाबाद

यह उदरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक शितीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल  
हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : TUSHAR BHAINAGAR तहसील : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 25-02-2026 11:18:39

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उदरण खतौनी का वेरीफिकेशन

<https://spbhulekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा  
सकता है।



# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 1151922026642971

ग्राम क्रमांक : 115192      ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर/मुरादाबाद      तहसील : मुरादाबाद      जनपद : मुरादाबाद      फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)      भाग : 1      (1) खाता संख्या : 00377

श्रेणी : 4-क / उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण, अधि-अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -क, जो उ.प्र. जोत सी.आ.अ.के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तर्गम अर्वाधिक के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
666/मि	1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद /	1) अन्य / पत्रांक 501/अमलदरामद / 10-10-2025 / पुनर्ग्रहण		666/मि(11519220664200342)	0.1150	1)	1) 0.1150	0.00
							0.1150	

कुल गाटे - 1      कुल क्षेत्रफल - 0.1150 हेक्टर      कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये      कुल अंश का क्षेत्रफल - 0.1150 हेक्टर

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)	

1) अन्य - पत्रांक 501/अमलदरामद / 10-10-2025 / पुनर्ग्रहण - RAM SINGH RAWAT / 07-11-2025	1.1) अतिरिक्त घोषित भूमि / --- / --- (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	664मि (1151920064200342)	1.1) 0.1150	1.1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद / . / .	664मि (1151920064200342)	1.1) 0.1150
--	---	--------------------------	----------------	---	--------------------------	----------------

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1410फ आदेशानुसार सक्षमप्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.150/न.भू.सी.2003दि.1.6.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं.93दि.19.5.03के अन्तर्गत इस कार्यालय की पत्र सं.93दि-19.5.2003 के द्वारा वाद सं.315/1201 सरकार बनाम पूरन में अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं.263/2043.20वर्ग
- 2) मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर संबंधित भू धारक पूरन अथवा उसके वेध वारिसानो का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हो ह.ले.8.7.03
- 3) 1410फ आदेशानुसार रा0 नि0 पाकवड़ा द्वारा प.क.11 क दि.21-7-03 को आदेश हुआ कि खाता सं. 370 से मृतक पूरन के स्थान पर नन्हे पुत्र पूरन नि ग्राम के नाम वतोर वारिस दर्ज हो ह.ले.21-7-03
- 4) 1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183/आठ वि.भू.अ.अ/मुरादाबाद दि.16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर में गाटा सं. 263पर अमलदरामद में हुई त्रुटि का परीक्षण कराकर संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि /1.25 एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास
- 5) प्राधिकरण के नाम तथा इसी न.सं 1.02 एकड़ भूमि नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो ह.ले.25-10-02
- 6) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.647/ 31-12-02 को आदेश हुआ कि खाता सं. 240,295,370, के गाटा सं0 263मि /2.27एकड़ में से 0.32 एकड़ लगान 45.00 रु के बकदर भाग से रामराज सिंह विश्रोई पुत्र रामसरन विश्रोई नि.वी.एस-41 दीनदयालनगर एम.डी.कालोनी मुरादाबाद वहेसियत मुख्तयारेआम
- 7) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास नि.झोंझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्रोई पत्नी रामराज सिंह विश्रोई वि.एस.-41 दीनदयाल नगर एम.डी.ए.शहर मुरादाबाद व गजरामसिंह पुत्र रामसरनसिंह नि.विकास नगर लाईनपार शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह ले
- 8) ह ले.31-1-03
- 9) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/ 22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि /0.24-1/2 एकड़ लगान क्र मश: 2.60व 2.45के पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास
- 10) नि.झोंझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.मौ.कोटीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह.ले. 31.1.03
- 11) 1411फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.511/353/03धारा 34एल.आर.एक्ट आदेश दि. 23.1.2004के अन्तर्गत भानुप्रकाश बनाम मु.पुनिया में गाटा सं.263मि रकबर्द 0.63.मि =2043.20वर्ग मीटर स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद का राज्य सरकार का नाम खारिज करके भानुप्रकाश पुत्र
- 12) स्व0ओमप्रकाश नि.ग्राम दलपतपुर तह0व जिला मुरादाबाद का नाम वजरिये अपंजीकृत वसियतनामा दि.27.10.95के आधार पर दर्ज हो । प.क.11क का इन्द्राज दि.12.12.1994खारिज हो ह.ले.24.1.04
- 13) 1411फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.584/न.भू.सी./03दि. 8.12.2003के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियम अधिनियम 1976के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि गाटा सं.263 श्रीमती पुनिया के नाम है । पूरन और पुनिया दोनों की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति में
- 14) में गाटा सं.263मि जो पुनिया के नाम था का श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन नि.सोनकपुर मुरादाबाद के जो भी वेध वारिसान हो के नाम दर्ज हो ह.ले.24.1.04

- 15) 1411फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.358/ 23.4.04आदेश हुआ कि खाता सं.370के गाटा सं.336 मि /0.24-1/2एकड़ L.R.2.45के पूर्ण भाग से अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.कोठीवाल नगर मुरादाबाद का नाम खारिज होकर श्रीमती ऊ पा वर्मा पत्नी घनश्याम वर्मा नि.बाजार कलों मंडावर विजनौर
- 16) व श्रीमती कमला श्रीवास्तव पत्नी स्व.राजबहादुर नि. लाईनपार मुरादाबाद का नाम बजरिए बेनामा दि.12.4.2003 के आधार पर दर्ज हो ह.ले.27.4.04
- 17) 1408फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा.पत्रांक स्.220B/न.भू.सी/2001दि. 2.3.01के अत्रगत वाद स्.264/2699सरकार बनाम नरायणदास मे धारा 45के अत्रगत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.8.7.94मे गाटा स्.336मि/ 1983.03वर्ग मी.गाटा स्.263मि/2116.20वर्ग मी.
- 18) भूमि पर राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित भू- धारक नरायण दास पुत्र बाबू नि.सोनकपुर या उसके वैध वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हो ह. ले. 11.5.2001
- 19) 1409फ आदेशानुसार रा.नि.पाकबड़ा द्वारा प.क.11क दि.10.4.2002को आदेश हुआ कि खाता स्.370से मृतक नरायणदास के स्थान पर हरप्रसाद,मोहनसिंह राजकुमार पुत्रगण नरायणदास व श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी स्व.नरायणदास नि.ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह. ले. 10.4.2002
- 20) 1414फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं0688/134/1601/06आदेश दिनांक 31.1.07 को आदेश हुआकि खातास0370गाटास0303मि रकवा 0.221व गाटास0239मि/0.117पर अतिरिक्त घोषित भूमि के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनांक 8-5-06व20-1-07के आधार पर मूलकाशतकार
- 21) ग्.गाराम उर्फ गजराम व कु व.रसैन पुत्र खिम्मी नि0सोनकपुर का नाम तथा बादहू विक्रय पत्र ग्.गाराम आदि बहक अमृतलाल आदि एव0 विक्रय पत्र अमृत लाल आदि बहक के चन तलवार के आधार पर ग्राम सोनकपुर स्थित आराजी खातास0370गाटास0303मि/ 0.221है0 मे से 0.202भाग से ग्.गाराम उर्फ गजराम
- 22) व कु वर सैन पुत्र खिम्मी नि0सोनकपुर का नाम खारिज क रके श्रीमती के चन तलवार पत्नी सी0एल0तलवार नि0102कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज हो ह0आर0के 0दिनांक 31-1-07
- 23) 1409फ आदेशानुसार नगर भूमि सीमारोपण मुरा0के पत्रांक स्.32B/न.भू.सी./2001दि.14.5.01स्.ॉलग्र पत्रांक स्.0890Bन.भू.सी./99दि.8-4-99के द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एव. विनियत अधिनियम 1976की धारा -6(1)के अत्रगत भू-धारिका श्रीमती कमला वहू पत्नी साहू चुन्नी लाल नि.सिविल लाईन मुरा0ग्राम सोनकपुर
- 24) स्थित गाटा स्.0355के 1/2भाग की भूमि सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा 10(2)के अन्तर्गत आदेश दि.12.5.98 को भू-धारक के पक्ष मे छोड दिया है ह.ले.2.7.01
- 25) 1415फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा0पत्रांक स्.0 235/न.भू.सी./07दि.29.11.07 के अत्रगत पूर्व मे अमलदरामद की गई भूमि ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स्.90मि/1423.20वर्ग मीटर व ग्राम मऊ स्थित गाटा स्.516मि/1144.72वर्ग मी.कु ल 2567.92वर्ग मीटर पर राज्य सरकार के स्थान पर श्री वलवीर
- 26) सरन भटनागर पुत्र स्व.रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद के पक्ष मे दर्ज हो ातथा उपरोक्त क े अतिरिक्त श्री रूपकि शोर भटनागरपुत्र रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद की सीलिंग वादस्. 1.448 /5011मे सक्षम प्राधिकारी के आदेशदिनांक 29.10.80 के द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि ग्राम मऊ स्थित गाटा स्.
- 27) 516रकवा1144.72व0मी0ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स्.90मि रकवा 1423.20व0मी0कु ल 2567.92व0मी0भूमि पर तहसीलदारमुरादाबाद द्वारा दिनांक 15.1.90को राज्य सरकारमे पक्ष मे कब्जा लिया गया ा अतःउक्त भूमि राज्यसरकार के पक्ष मे दर्ज हो ह0आर0के 010.3.08
- 28) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.23.10.08के अनुपालन मे आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद वाद सं.305/944धारा 45नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 आदेश दि.10.4.92के अत्रगत सरकार
- 29) वनाम जेटू मे गाटा स.866व844जो नगर पालिका की सीमा से एक किलोमीटर के वाहर स्थित है की क्रमश.4856-40व0मी0व647.52व0मी0अर्थात कुल 5503.92व0मी0भूमि उसकी कुल 8393.52 व0मी0मे से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसके पास कुल भवन सहित 2889.60व0मी0भूमि होती है
- 30) अतःभूधारक की 889.60व0मी0भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है जो गाटा स.650से अभ्यर्पित की जायेगी तदानुसार आदेश दि.8.8.77संशोधित समझा जाय ा ह0आर0के0दि3.11.08
- 31) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारीनगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक 158/न0 भू0सी0/08दि.30.7.08के अनुपालन मे पत्रांक114/ न0भू0सी0/03दि.28.5.03के अत्रगतसीलिंग वाद स्.1532/5019मे दायर अपीलमे माननीय अपर जिलाजज घष्टम मुरादाबाद के
- 32) आदेश दि.29.5.95के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा वाद रिमाण्डकिया गया जिसके विरूद्ध माननीय उच्चन्यायालयइलाहवाद मे दायर रिट याचिका स्.6729/97माननीय न्यायालय के आदेश दि.15.3.97के द्वारा खारिज की गई तत्पश्चात निरसन आधिनियम
- 33) 1999प्रभावी हो जान के कारण स्.क्षम प्राधिकारी के आदेश दि.4.3.2003के द्वारा उक्त बाद निरसितकिया गया तथा वाद पत्रावली निक्षेप की गई तदानुसार वाद मे कब्जा

- ली गई निम्न लिखित भूमि पर भूधारक के पक्ष में कब्जा छोड़ने तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के स्थान पर भूधारक श्री बालकिशोर भटनागर पुत्र स्व.श्री रामचन्द्र नि.हरथला के नाम दर्ज होग्राम का नाम गाटा स्. 1-ग्राम मऊ गाटा स्. 516 मि रकवा 1144.72 वर्ग मी 0 व 2-ग्राम सोनकपुर गाटा स्. 90 मि रकवा 1443.83 वर्ग मी 0 कुल 2 किता रकवा 2588.55 वर्ग मी 0 ह 0 आर 0 के 07.3.09
- 36) 1416 फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद . वाद सं. 1856/28.5.09 को आदेश हुआ कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं. 385 के खसरा नं. 866 रकवा 0.486 हे 0 लगानी व मुजिव . खतौनी के पूर्ण भाग में से 0.80 एकड़ पर से विक्रेता . चन्द्रसेन पुत्र स्व. जेटू निवासी मिलक भोला सिंह तह 0
- 37) व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज होकर क्रेता शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सतारपुर माफी तह 0 अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम सहखातेदार के साथ सो. भू 0 के रूप में द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 4.7.92 के आधार पर दर्ज कागजात हो तत्पश्चात् मृतक शेर सिंह . पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सतारपुर माफी तह 0.
- 38) अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राममनोहरलाल . निवासी हाल खुशहालपुर तह 0 व जिला मुरादाबाद का नाम द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 2.1.95 सो. भू 0 के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित हो ह 0 आर 0 के . 5.6.09
- 39) 1417 फ. आदेशानुसार श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विविध निगरानी सं. शून्य /2007-08 धारा 219 एल 0 आर 0 एक्ट आदेश दिनांक 29.7.2008 के अत्रतगत उमा शंकर शर्मा आदि वनाम भानुप्रकाश आदि में खाता सं. 195 पर प्रतिपक्षी गण दिनांक 1.9.2008 के लिए नोटिस जारी
- 40) किये जाय . अवर न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली अपील सं. 7/89/07 एवं अपील सं. 26/123 उमा शंकर शर्मा वनाम भानुप्रकाश आदि तथा तनवीर अहमद आदि वनाम भानुप्रकाश आदि एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली वाद सं. 353/03 भानुप्रकाश वनाम मु. पुनिया तथा वाद सं. 97 भानुप्रकाश वनाम श्रीमती
- 41) पुनिया तलव की जाय . तब तक प्रतिपक्षी सं. 1 भानुप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश नि. दलपतपुर तह 0 व जिला मुरादाबाद को वाद प्रस्त आराजी का किसी प्रकार अन्तरण-विक्रय करने से निषेध किया जाता है . ह 0 आर 0 के 0 दि 25.7.09
- 42) 1417 फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरा 0 के आदेश दि. 22.9.09 के अनुपालन में आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 278/न 0 भू 0 सी 0 08 दिनांक 3.10.08 के अत्रतगत शासन देश सं. 513/उन्वास-152(47) यू 0 सी 0 83 दिनांक 6.9.86 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त करते
- 43) हुये नये सिरे में भूमि सीमा के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रत्यावतित की गई /तत्पश्चात् सक्षम प्राधि कारी के आदेश दि. 24.12.87 द्वारा ग्राम सोनकपुर स्थित स्थित गाटा सं. 879 से 8943.87 वर्ग मी 0 गाटा स्. 1.873 से 654.44 वर्ग मी 0 कु ल 9598.31 वर्ग मी 0 भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई . सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि. 17.2.01 के
- 44) द्वारा निरसन अधिनियम 1999 के अनुसार वाद पत्रांक पत्रावली निक्षेप की गई तथा इस कार्यालय के पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01 के द्वारा ग्राम सोनकपुर गाटा स्. 1.879/8943.87 वर्ग मी 0 गाटा सं. 873/654.44 वर्ग मी 0 कु ल 9598.31 वर्ग मी 0 भूमि से राज्य सरकार के स्थान पर भूधारक श्री वफातीका नाम अंकित करने हेतु लिखा गया
- 45) जबकि उक्त वाद में गाटा स्. 1.879/8947.87 वर्ग मी 0 व गाटा सं. 873 रकवा 1059.14 वर्ग मी 0 का कब्जा दिनांक 22.3.79 को तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लिया गया . अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक 217 वी 0 दिनांक 2.3.01 के प्रस्तर-3 में अंकित ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स्. 1.873/654.44 वर्ग मी 0 के
- 46) स्थान पर 1059.14 वर्ग मी 0 सही पढा जाय . ह 0 आर 0 के 0 23.9.09
- 47) 1417 फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 100/न 0 भू 0 सी 0 010 दिनांक 30.4.10 के अत्रतगत वाद सं. 2759/101 सरकार वनाम हिन्द निहोन प्रोटीन प्रो 0 लि 0 में धारा 10(3) के उपरान्त धारा 10(5) की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999 के अत्रतगत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि. 20.2.08 के द्वारा वाद पत्रावली यथा स्थिति निक्षेप की गई है अतः गाटा सं. 538/1133.16 वर्ग मी 0 गाटा सं. 541/654.45 वर्ग मी 0 भूमि पर हिन्द निहोन प्रोटीन प्रो 0 लि 0 मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह 0 आर 0 के 0 दि 5.5.10
- 49) 1417 फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा 0 वाद स्. 455/28.5.10 को आदेश हुआ कि खाता स्. 385 के गाटा स्. 866/0.486 हे. लगान व मुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र . ता चन्द्र सेन पुत्र स्व. जेटू नि 0 ग्राम भोला सिंह की मिलक सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रे . ता
- 50) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वनामा दर्ज हो ह 0 आर 0 के 0 16.6.10
- 51) 1418 फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा 0 वाद स्. 117/28.5.10 को आदेश हुआ कि खाता स्. 385 के गाटा स्. 866/0.486 हे. लगान व मुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र . ता श्रीमती कान्ती देवी पत्नी राम मनोहर लाल नि 0 ग्राम खुशहालपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रे . ता

- 52) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 27.7.10
- 53) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वादस् ॉ.77/10धारा 143ज0वि0अधि0आदेश दि.18.6.10के अन्तर्गत मे हिन्द निहोन प्रोटिन्स बनाम सरकार मे तहसील आख्या /सस्तुति के आधार पर खाता स् ॉ.30गाटा स् ॉ.566/0.028 का 1/2भाग एंव खाता स् ॉ.385 के गाटा स् ॉ.538मि/0.113
- 54) .541/0.065हे.को अकृ षिक घोषित कि या जाता है तथा लगान समाप्त कि या जाता है ह0आर0के 018.8.10
- 55) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं.31/820/454/2011-12धारा34 LR ACT ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद खाता सं.371 गाटा सं.263/2043.20 वर्ग मी0 भानुप्रकाश बनाम . मु0पुनिया मे दिनांक 19.9.12 के अन्तर्गत प्रश्रगत वाद मे वसीयत अपंजीकृत होने के फलस्वरूप धारा 169
- 56) मे हुए संशोधन के अनुसार मान्य नहीं है तथा खसरा सं. 263 मे मौके पर आबादी / गैर कृ षि भूमि होने के कारण इस भूमि पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0के प्रावधान लागू नहीं है. बल्कि व्यक्तिगत विधि लागू है. विरासत का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है, उक्त विवेचना के
- 57) आधार पर नामान्तरण प्रसूचना निरस्त की जाती है . ह0आर.के...14.2013
- 58) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान नगर भूमि सीमा रोपण - सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 730/न0भू0सी0/ रिट0/2014 दिनांक 18नवम्बर 2014 के क्र म मे . मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे रिट संख्या 35789/ 2011ख खमानी बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) मे पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 व दिनांक
- 59) 31.10.2014 के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की गाटा सं.669 रकबा 2549.61वर्ग मी0 भूमि पर जो अतिरिक्त सीलिंग भूमि के खाते मे अंकित है . जिसे निरस्त कर भूधारक खमानी पुत्र तुलाराम का नाम इस शर्त के साथ अंकित कि या जाये , शासनादेश संख्या 319जी0कदिनांक
- 60) 14.01.1980 मे धारा 20 के अन्तर्गत उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों का रिमार्क कॉलम मे अंकन कि या जाये कि 1- भूमि का उपयोग केवल कृ षि के लिये कि या जायेगा , 2- भूमि प्लाटिंग कर विक्रय अन्तरण नहीं कि या जायेगा , परन्तु कृ षक प्रयोजन हेतु विक्रय अन्तरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
- 61) कि या जायेगा , 3- कृ षक प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक अन्तरण अधिनियम की धारा -19(एक) (तीन ) मे उल्लिखित कि सी बैंक , वित्तीय संस्था अथवा . केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट कि सी वित्त निगम या वित्तीय संस्थान के पक्ष मे कि या जा सके गा, ह0आर.के...2.12.2014
- 62) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक, मुरादाबाद द्वारा वादसं0T2151354014307 आदेश दि.24.8.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371 के गाटासं.263/1 रकबा 0.2020हे. अर्थात 2020.00 वर्ग मीटर लगान बमुजिव खतौनी पर अंकित मृतका श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन के स्थान पर भानुप्रकाश पुत्र
- 63) स्व0ओमप्रकाश नि0 ग्राम दलपतपुर का नाम बतौर वारिस सं0भू0के रूप मे अंकित हो ा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प0क011 ख आदेश दि.12.2.1994 निरस्त कि या जाता है ा ह0आर.के 031.8.15
- 64) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0T20151354014413 धारा 210एल0आर0एक्ट आदेश दि.28.08.2015 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र आदि बनाम भानुप्रताप शर्मा मे खतौनी वर्ष 1420-25 के खातासं.371के खसरानं. 263/1 रकबई 0.2020हे. अर्थात 2020.00वर्ग
- 65) मीटर लगान बमुजिव स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद अवर न्यायालय का आदेश दि. 24.08.2015 अग्रिम आदेशो तक स्थगित किया जाता है ा ह0आर.के 07.9.15
- 66) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0T20141354015842 आदेश दि.15.09.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371के खसरानं.873मि रकबा 0.040हे. लगान बमुजिव खतौनी के बकदर भाग मे से 0.0100हे. पर से विक्र ेता वफाती पुत्र इतवारी नि0 ग्राम मिलक भोला सिंह
- 67) सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्र ेता श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव पत्नी शैलेन्द्र सक्सेना निवासी डी-73 , आवतिका कालौनी, शहर व तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे बजरिये बैनामा दि.20.02.14 के आधार पर सं0भू0के रूप मे दर्ज हो ा ह0आर.के 0
- 68) 30.09.15
- 69) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद के आदेश दि.08.06.16के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर की खातासं.371 पर त्रुटिवश न्यायालय तहसीलदार सदर, मुरादाबाद वादसं. T20141354015892 आदेश दि.15.09.15 दर्ज हो गया है ा की त्रुटि की शुद्धि करते हुए उक्त
- 70) आदेश खाता संख्या 252 पर अंकित कि या जाता है ा ह0आर.के 08.6.16
- 71) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद , पत्रांक 2060/न0भू0सी0/ 2016 दिनांक 30.05.16 के अन्तर्गत महबूब पुत्र श्री फै जबख्श

- निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं. 316/1589 मे धारा -45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के
- 72) आदेश दिनांक 28.02.1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर के गाटा सं. 620 से 4168.41 वर्ग मीटर व गाटा सं. 547 से 629.17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं. 296 से 8255.88 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है, जिसके सम्बन्ध मे धारा-10(5) का नोटिस दिनांक 09.11.1993 को जारी कि या गया
- 73) तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे, अमलदरामद कि या गया, लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा -10 (5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम -1999 के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.5.16 के द्वारा उक्त
- 74) वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है, ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं. 620 से 4168.41 वर्ग मीटर व गाटा सं. 547 से 629.17 वर्गमीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं. 296 से 8255.88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक
- 75) श्री महदूद अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित करे, ह0आर0के ...17.6.2016
- 76) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2060 न0भू0सी0 2016 दिनांक 30-05-16 के अन्तर्गत श्री महदूद पुत्र फैजवख्त निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं 315/1589 मे धारा 45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-02-1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई है जिसके सम्बन्ध मे धारा 10(5) का नोटिस दिनांक 09-11-93 को जारी किया गया तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे अमलदरामद किया गया लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा 10(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999 के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-16 के द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर की गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक श्री महदूद अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हो ह0आर0के 23-07-16
- 77) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक 2190 न0भू0सी0 अमलदरामद 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 436/5216 सरकार बनाम छोटलाल मे जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अबन सीलिंग से मुक्त कर भूधारक छोटलाल अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम दर्ज हो ह0आर0के0 30/07/16
- 78) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0 अमलदरामद/ 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 1310/5214 सरकार बनाम बालकिशन मे जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अबन सीलिंग से मुक्त कर बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हो, ह0आर0के0 30/07/16
- 79) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 12.8.16 के अनुपालन मे कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्रांक सं0 2219 न0भू0सी0/2016 दिनांक 12 अगस्त 2016 के अन्तर्गत अख्तर आदि के द्वारा इस कार्यालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 मि0 की उद्वरण खतौनी फसली वर्ष 1420 फ से 1425 फ प्रस्तुत की है जिसमे 0.3080 हे0 अर्थात 3080 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त घोषित दर्ज है सीलिंग वाद सं0 200/600 सरकार बनाम अख्तर सीलिंग वाद सं0 173/599 सरकार बनाम मटरू एवं सीलिंग वाद सं0 190/602 सरकार बनाम मुख्दार मे जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश 4.8.16 के द्वारा भूधारक अख्तर आदि की ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 4564/25 वर्गमी0 भूमि सीलिंग से मुक्त है अतः ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 3080 वर्गमी0 भूमि जिसपर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो 1 के स्थान पर श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्दार अथवा उनके वैध वारिसो के नाम दर्ज हो 1 ह0आर0के0 दि 12.8.16
- 80) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद कम्प्यूटर वाद सं0 टी 2015/1354014413 धारा 210 एल0आर0एक्ट ग्राम सोनकपुर गिरीश चन्द्र बनाम भानु प्रकाश शर्मा मे आदेश दि 28.9.16 के अन्तर्गत वादीगण की अपील की कार्यवाही निरस्त की गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.8.2015 को भी निरस्त किया गया है खतौनी वर्ष 1420 फ से 1425 फ के खाता सं0 371 के खसरा नं0 263/1 रकवई 0.2020 हे0 अर्थात 2020.00 वर्ग मीटर लगान वमूजोब दर्ज हो ह0आर0के0 दि 03.10.16
- 81) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31-01-17 के अनुपालन मे आदेश श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या टी 2016/130092 धारा 219 एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 19-01-17 के अन्तर्गत गिरीश चन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि मे ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर order of lower court shall remain stayed. ह0आर0के0 08-03-17



# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602972

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर(मुरादाबाद) तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00377

क्षेत्री : 4-क / उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण,अधि,अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
664मि.	1) अतिरिक्त घोषित भूमि / ... / ... 2) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद / . / .	1) अन्य / पत्रांक 501/अमलदरामद / 10-10-2025 / पुनर्ग्रहण		664मि. (1151920664200442)	0.1290	1) 1/1 2) -	1) 0.0053 2) 0.1237	0.00
							0.1290	

कुल गाटे - 1 कुल क्षेत्रफल - 0.1290 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 0.1290) (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)	

अन्य पत्रांक 501/अमलदरामद/ 10-10-2025 / पुनर्ग्रहण / RAM SINGH RAWAT / 07-11-2025	1.1) अतिरिक्त घोषित भूमि / --- / --- (शेष क्षेत्रफल : 0.0053)	664मि. (1151920664200442)	1.1) 0.1237	1.1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद / /.	664मि.(1151920664200442)	1.1) 0.1237
--	---	------------------------------	----------------	---	--------------------------	----------------

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1410फ आदेशानुसार सक्षमप्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.150/न.भू.सी.2003दि.1.6.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं.93दि.19.5.03के अन्तर्गत इस कार्यालय की पत्र सं.93दि-19.5.2003 के द्वारा वाद सं.315/1201सरकार बनाम पूरन में अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं.263/2043.20वर्ग
- 2) मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर संबंधित भू धारक पूरन अथवा उसके वैद्य वारिसानो का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हो ह.ले.8.7.03
- 3) 1410फ आदेशानुसार रा0 नि0 पाकवड़ा द्वारा प.क.11 क दि.21-7-03 को आदेश हुआ कि खाता सं. 370 से मृतक पूरन के स्थान पर नन्हे पुत्र पूरन नि ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह.ले.21-7-03
- 4) 1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183/आठ वि.भू.अ.अ./मुरादाबाद दि.16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर में गाटा सं. 263पर अमलदरामद में हुई त्रुटि का परीक्षण कराकर संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि /1.25 एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास
- 5) प्राधिकरण के नाम तथा इसी न.से 1.02 एकड़ भूमि नगर भूमि सीमा रोपड मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखो में दर्ज हो ह.ले .25-10-02
- 6) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.647/ 31-12-02 को आदेश हुआ कि खाता सं. 240,295,370, के गाटा सं0 263मि /2.27एकड़ में से 0.32 एकड़ लगान 45.00 रु के बकदर भाग से रामराज सिंह विश्रोई पुत्र रामसरन विश्रोई नि.वी.एस-41 दीनदयालनगर एम.डी.कालोनी मुरादाबाद वहेसियत मुख्तयारेआम
- 7) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास नि.झाँझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्रोई पत्नी रामराज सिंह विश्रोई वि.एस.-41 दीनदयाल नगर एम.डी.ए.शहर मुरादाबाद व गजरामसिंह पुत्र रामसरनसिंह नि .विकास नगर लाईनपार शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह ले
- 8) ह ले.31-1-03
- 9) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/ 22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि /0.24-1/2 एकड़ लगान क्र मश: 2.60व 2.45के पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास
- 10) नि.झाँझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.मौ.कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह .ले. 31.1.03
- 11) 1411फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.511/353/03धारा 34एल.आर.एक्ट आदेश दि. 23.1.2004के अन्तर्गत भानुप्रकाश बनाम मु.पुनिया में गाटा सं.263मि रकबई 0.63.मि =2043.20वर्ग मीटर स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद का राज्य सरकार का नाम खारिज करके भानुप्रकाश पुत्र
- 12) स्व0ओमप्रकाश नि.ग्राम दलपतपुर तह0व जिला मुरादाबाद का नाम वजरिये अर्पजीकृ त वसियतनामा दि.27.10.95के आधार पर दर्ज हो । प.क.11क का इन्द्राज दि.12.12.1994खारिज हो ह.ले.24.1.04
- 13) 1411फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.584/न.भू.सी./03दि. 8.12.2003के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियम अधिनियम 1976के अन्तर्गत प्रश्रगत भूमि गाटा सं.263 श्रीमती पुनिया के नाम है । पूरन और पुनिया दोनों की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति में
- 14) में गाटा सं.263मि.जो पुनिया के नाम था का श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन नि.सोनकपुर मुरादाबाद के जो भी वैद्य वारिसान हो के नाम दर्ज हो ह.ले.24.1.04

- 15) 1411फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.358/ 23.4.04आदेश हुआ कि खाता सं.370के गाटा सं.336 मि /0.24-1/2एकड़ L..R.2.45के पूर्ण भाग से अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.कोठीवाल नगर मुरादाबाद का नाम खारिज होकर श्रीमती ऊषा वर्मा पत्नी घनश्याम वर्मा नि.बाजार कलौं मंडावर बिजनौर
- 16) व श्रीमती कमला श्रीवास्तव पत्नी स्व.राजबहादुर नि. लाईनपार मुरादाबाद का नाम बजरिए बेनामा दि.12.4.2003 के आधार पर दर्ज हो ह.ले.27.4.04
- 17) 1408फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा.पत्रांक स्.220B/न.भू.सी/2001दि. 2.3.01के अत्रगत वाद स्.264/2699सरकार बनाम नरायणदास मे धारा 45के अत्रगत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.8.7.94मे गाटा स्.336मि/ 1983.03वर्ग मी.गाटा स्.263मि/2116.20वर्ग मी.
- 18) भूमि पर राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित भू- धारक नरायण दास पुत्र बाबू नि.सोनकपुर या उसके वेध वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हो ह. ले. 11.5.2001
- 19) 1409फ आदेशानुसार रा.नि.पाकबड़ा द्वारा प.क.11क दि.10.4.2002को आदेश हुआ कि खाता स्.370से मृतक नरायणदास के स्थान पर हरप्रसाद,मोहनसिंह राजकुमार पुत्रगण नरायणदास व श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी स्व.नरायणदास नि.ग्राम के नाम वतोर वारिस दर्ज हो ह. ले. 10.4.2002
- 20) 1414फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं0688/134/1601/06आदेश दिनांक 31.1.07 को आदेश हुआकि खातासं0370गाटासं0303मि रकवा 0.221व गाटासं0239मि/0.117पर अतिरिक्त घोषित भूमि के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनांक 8-5-06व20-1-07के आधार पर मूलकाशतकार
- 21) ग्ोंगाराम उर्फ गजराम व कु व्ोंरसेन पुत्र खिम्मी नि0सोनकपुर का नाम तथा बादहू विक्र य पत्र ग्ोंगाराम आदि बहक अमृतलाल आदि एव0 विक्र य पत्र अमृत लाल आदि बहक कें चन तलवार के आधार पर ग्राम सोनकपुर िस्थत आराजी खातासं0370गाटासं0303मि/ 0.221है0 मे से 0.202भाग से ग्ोंगाराम उर्फ गजराम
- 22) व कु वर सेन पुत्र खिम्मी नि0सोनकपुर का नाम खारिज क रके श्रीमती कें चन तलवार पत्नी सी0एल0तलवार नि0102कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज हो ह0आर0के 0दिनांक 31-1-07
- 23) 1409फ आदेशानुसार नगर भूमि सीमारोपण मुरा0के पत्रांक स्.32B/न.भू.सी./2001दि.14.5.01स्.ॉलग्र पत्रांक स्.0890Bन.भू.सी./99दि.8-4-99के द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एव्.ॉ विनियत अधिनियम 1976की धारा -6(1)के अत्रगत भू-धारिका श्रीमती कमला वह पत्नी साहू चुन्नी लाल नि.सिविल लाईन मुरा0ग्राम सोनकपुर
- 24) स्थित गाटा स्.ॉ355के 1/2भाग की भूमि सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा 10(2)के अन्तर्गत आदेश दि.12.5.98 को भू-धारक के पक्ष मे छोड दिया है ह.ले.2.7.01
- 25) 1415फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा0पत्रांक स्.ॉ0 235/न.भू.सी./07दि.29.11.07 के अत्रगत पूर्व मे अमलदरामद की गई भूमि ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स्.ॉ.90मि/1423.20वर्ग मीटर व ग्राम मऊ स्थित गाटा स्.ॉ.516मि/1144.72वर्ग मी.कु ल 2567. 92वर्ग मीटर पर राज्य सरकार के स्थान पर श्री वलवीर
- 26) सरन भटनागर पुत्र स्व.रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद के पक्ष मे दर्ज हो ातथा उपरोक्त क्े अतिरिक्त श्री रूपकि शोर भटनागरपुत्र रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद की सीलिंग वादस्.ॉ.1448 /5011मे सक्षम प्राधिकारी के आदेशदिनांक 29.10.80 के द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि ग्राम मऊ स्थित गाटा स्.ॉ.
- 27) 516रकवा1144.72व0मी0ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स्.ॉ.90मि रकवा 1423.20व0मी0कु ल 2567.92व0मी0भूमि पर तहसीलदारमुरादाबाद द्वारा दिनांक 15.1.90को राज्य सरकारमे पक्ष मे कब्जा लिया गया ा अतःउक्त भूमि राज्यसरकार के पक्ष मे दर्ज हो ह0आर0के 010.3.08
- 28) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.23.10.08के अनुपालन मे आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद वाद सं.305.944धारा 45नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 आदेश दि.10.4.92के अत्रगत सरकार
- 29) बनाम जेटू मे गाटा स.866व844जो नगर पालिका की सीमा से एक किलोमीटर के वाहर स्थित है की क्रमश.4856-40व0मी0व647.52व0मी0अर्थात कुल 5503.92व0मी0भूमि उसकी कुल 8393.52 व0मी0मे से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसके पास कुल भवन सहित 2889.60व0मी0भूमि होती है
- 30) अतःभूधारक की 889.60व0मी0भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है जो गाटा स.650से अभ्यर्पित की जायेगी तदानुसार आदेश दि.8.8.77संशोधित समझा जाय ा ह0आर0के0दि3.11.08
- 31) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारीनगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक 158/न0 भू0सी0/08दि.30.7.08के अनुपालन मे पत्रांक114/ न0भू0सी0/03दि.28.5.03के अत्रगतसीलिंग वाद स्.ॉ.1532/5019मे दायर अपीलमे माननीय अपर जिलाजज षष्ठम मुरादाबाद के
- 32) आदेश दि.29.5.95के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा वाद रिमाण्डकिया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्चन्यायालयइलाहवाद मे दायर रिट याचिका स्.ॉ.6729/97माननीय न्यायालय के आदेश दि.15.3.97के द्वारा खारिज की गई तत्पश्चात निरसन आधिनिियम
- 33) 1999प्रभावी हो जान के कारण स्.ॉक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.4.3.2003के द्वारा उक्त वाद निरसितकिया गया तथा वाद पत्रावली निक्षेप की गई तदानुसार वाद मे कब्जा

- लो गई निम्न लिखित भूमि पर भूधारक के पक्ष में कब्जा छोड़ने तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के स्थान
- 34) पर भूधारक श्री बालकेश्वर भटनागर पुत्र स्व.श्री रामचन्द्र नि.हरधला के नाम दर्ज होयाम का नाम गाटा स्. 1-ग्राम मऊ गाटा स्. 516 मि रकबा 1144.72 वर्ग मी 0 व 2-ग्राम सोनकपुर गाटा स्. 90 मि रकबा 1443.83 वर्ग मी 0 कुल 2 कित्ता रकबा 2588.55 वर्ग मी 0 ह 0 आर 0 के 07.3.09
- 35) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं. 1856/28.5.09 को आदेश हुआ कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं. 385 के खसरा नं. 866 रकबा 0.486 हे 0 लगानी बमुजिव खतौनी के पूर्ण भाग में से 0.80 एकड़ पर से विक्रेता चन्द्रसैन पुत्र स्व. जेठू निवासी मिलक भोला सिंह तह 0
- 37) व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज होकर केता शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह 0 अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम सहखातेदार के साथ सं 0 भू 0 के रूप में द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 4.7.92 के आधार पर दर्ज कागजात हो तत्पश्चात् मृतक शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह 0.
- 38) अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राममनोहरलाल निवासी हाल खुशहालपुर तह 0 व जिला मुरादाबाद का नाम द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 2.1.95 सं 0 भू 0 के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित हो ह 0 आर 0 के 5.6.09
- 39) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विविध निगरानी सं. शून्य /2007-08 धारा 219 एल 0 आर 0 एक्ट आदेश दिनांक 29.7.2008 के अत्रतगत उमा शंकर शर्मा आदि वनाम भानुप्रकाश आदि में खाता सं. 195 पर प्रतिपक्षी गण दिनांक 1.9.2008 के लिए नोटिस जारी
- 40) किये जाय 1 अवर न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली अपील सं. 7/89/07 एवं अपील सं. 26/123 उमा शंकर शर्मा वनाम भानुप्रकाश आदि तथा तनवीर अहमद आदि वनाम भानुप्रकाश आदि एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली वाद सं. 353/03 भानुप्रकाश वनाम मु. पुनिया तथा वाद सं. 97 भानुप्रकाश वनाम श्रीमती
- 41) पुनिया तलव की जाय 1 तब तक प्रतिपक्षी सं. 1 भानुप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश नि. दलपतपुर तह 0 व जिला मुरादाबाद को वाद ग्रस्त आराजी का किसी प्रकार अन्तरण विक्रय करने से निषेध किया जाता है 1 ह 0 आर 0 के 0 दि 25.7.09
- 42) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरा 0 के आदेश दि. 22.9.09 के अनुपालन में आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगरभूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 278/न 0 भू 0 सी 0 0 8 दिनांक 3.10.08 के अत्रतगत शासन देश सं. 513/उन्वास-152(47) यू 0 सी 0 83 दिनांक 6.9.86 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त करते
- 43) हुये नये सिरे में भूमि सीमा के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रत्यावतित की गई /तत्पश्छत्ता सक्षम प्राधि कारी के आदेश दि. 24.12.87 द्वारा ग्राम सोनकपुर स्थित स्थित गाटा सं. 879 से 8943.87 वर्ग मी 0 गाटा स्. 873 से 654.44 वर्ग मी 0 कु ल 9598.31 वर्ग मी 0 भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई 1 सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि. 17.2.01 के
- 44) द्वारा निरसन अधिनियम 1999 के अनुसार वाद पत्रांक पत्रावली निक्षेप की गई तथा इस कार्यालय के पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01 के द्वारा ग्राम सोनकपुर गाटा स्. 879/ 8943.87 वर्ग मी 0 गाटा सं. 873/654.44 वर्ग मी 0 कु ल 9598.31 वर्ग मी 0 भूमि से राज्य सरकार के स्थान पर भूधारक श्री वफातीका नाम अंकि त करने हेतु लिखा गया
- 45) जबकि उक्त वाद में गाटा स्. 879/8947.87 वर्ग मी 0 व गाटा सं. 873 रकबा 1059.14 वर्ग मी 0 का कब्जा दिनांक 22.3.79 को तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लिया गया 1 अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक 217 वी 0 दिनांक 2.3.01 के प्रस्तर-3 में अंकित ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स्. 873/654.44 वर्ग मी 0 के
- 46) स्थान पर 1059.14 वर्ग मी 0 सही पढा जाय 1 ह 0 आर 0 के 0 23.9.09
- 47) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 100/न 0 भू 0 सी 0 0 10 दिनांक 30.4.10 के अत्रतगत वाद सं. 2759/101 सरकार वनाम हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा 0 लि 0 में धारा 10(3) के उपरान्त धारा 10(5) की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999 के अत्रतगत सक्षम
- 48) प्राधिकारी के आदेश दि. 20.2.08 के द्वारा वाद पत्रावली यथा स्थिति निक्षेप की गई है अतः गाटा सं. 538/1133.16 वर्ग मी 0 गाटा सं. 541/654.45 वर्ग मी 0 भूमि पर हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा 0 लि 0 मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह 0 आर 0 के 0 दि 5.5.10
- 49) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा 0 वाद स्. 455/28.5.10 को आदेश हुआ कि खाता स्. 385 के गाटा स्. 866/0.486 हे. लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्रे ता चन्द्र सैन पुत्र स्व. जेठू नि 0 ग्राम भोला सिंह की मिलक सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रे ता
- 50) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वनामा दर्ज हो ह 0 आर 0 के 0 16.6.10
- 51) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा 0 वाद स्. 117/28.5.10 को आदेश हुआ कि खाता स्. 385 के गाटा स्. 866/0.486 हे. लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्रे ता श्रीमती कान्ती देवी पत्नी राम मनोहर लाल नि 0 ग्राम खुशहालपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रे ता

- 52) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम बजरिये वैनामा दर्ज हो ०८०००००० २७.७.१०
- 53) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वादसं. ०.७७/१० धारा 143ज0वि0अधि0आदेश दि.18.6.10के अर्तगत मे हिन्द निहोन प्रॉटिन्स वनाम सरकार मे तहसील आख्या /सस्तुति के आधार पर खाता सं. ०.३०गाटा सं. ०.५६६/०.०२८ का 1/2भाग एंव खाता सं. ०.३८५ के गाटा सं. ०.५३८मि/०.११३
- 54) 541/०.०६५हे.को अकृ धिक घोषित कि या जाता है तथा लगान समाप्त कि या जाता है ०८०००००० ०१८.८.१०
- 55) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं.31/820/454/2011-12धारा34 LR ACT ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद खाता सं.371 गाटा सं.263/2043.20 वर्ग मी0 भानुप्रकाश वनाम . मु0पुनिया मे दिनांक 19.9.12 के अन्तर्गत प्रश्रगत वाद मे वसीयत अपंजीकृत होने के फलस्वरूप धारा 169
- 56) मे हुए संशोधन के अनुसार मान्य नहीं है तथा खसरा सं. 263 मे मौके पर आबादी / गैर कृषि भूमि होने के कारण इस भूमि पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0के प्रावधान लागू नहीं है. बल्कि व्यक्तिगत विधि लागू है. विरासत का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है, उक्त विवेचना के
- 57) आधार पर नामान्तरण प्रसूचना निरस्त की जाती है . ०८००००००...1.4.2013
- 58) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान नगर भूमि सीमा रोपण - सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 730/न0भू0सी0/ रिट0/2014 दिनांक 18नवम्बर 2014 के क्र म मे . मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 35789/ 2011 ख् खमानी वनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) मे पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 व दिनांक
- 59) 31.10.2014 के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की गाटा सं.669 रकबा 2549.61वर्ग मी0 भूमि पर जो अतिरिक्त सीलिंग भूमि के खाते मे अंकित है . जिसे निरस्त कर भूधारक खमानी पुत्र तुलाराम का नाम इस शर्त के साथ अंकित कि या जाये . शासनादेश संख्या 319जी0कदिनांक
- 60) 14.01.1980 मे धारा 20 के अन्तर्गत उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों का रिमार्क कॉलम मे अंकन कि या जाये कि 1- भूमि का उपयोग के वल कृषि के लिये कि या जायेगा , 2- भूमि प्लाटिंग कर विक्रय अन्तरण नहीं कि या जायेगा , परन्तु कृषक प्रयोजन हेतु विक्रय अन्तरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
- 61) कि या जायेगा . 3- कृषक प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक अन्तरण अधिनियम की धारा -19(एक) (तीन ) में उल्लिखित कि सी बैंक , वित्तीय संस्था अथवा . केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट कि सी वित्त निगम या वित्तीय संस्थान के पक्ष मे कि या जा सके गा, ०८००००००...2.12.2014
- 62) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक, मुरादाबाद द्वारा वादसं0T2151354014307 आदेश दि.24.8.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371 के गाटासं.263/1 रकबा 0.2020हे. अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान वमुजिव खतौनी पर अंकित मृतका श्रीमती पूनिया पत्नी पूरन के स्थान पर भानुप्रकाश पुत्र
- 63) स्व0ओमप्रकाश नि0 ग्राम दलपतपुर का नाम बतौर वारिस सं0भू0के रूप मे अंकित हो ा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प0क011 ख आदेश दि.12.2.1994 निरस्त कि या जाता है । ०८०००००० 031.8.15
- 64) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0T20151354014413 धारा 210एल0आर0एक्ट आदेश दि.28.08.2015 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र आदि वनाम भानुप्रताप शर्मा मे खतौनी वर्ष 1420-25 के खातासं.371के खसरानं. 263/1 रकबाई 0.2020हे. अर्थात् 2020.00वर्ग
- 65) मीटर लगान वमुजिव स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद अवर न्यायालय का आदेश दि. 24.08.2015 अग्रिम आदेशो तक स्थगित किया जाता है ा ०८०००००० 07.9.15
- 66) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0T20141354015842 आदेश दि.15.09.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371के खसरानं.873मि रकबा 0.040हे. लगान वमुजिव खतौनी के बकदर भाग मे से 0.0100हे. पर से विक्रय ेता वफाती पुत्र इतवारी नि0 ग्राम मिलक भोला सिंह
- 67) सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्र ेता श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव पत्नी शैलेन्द्र सक्सेना निवासी डी-73 , आवतिका कालौनी, शहर व तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे बजरिये वैनामा दि.20.02.14 के आधार पर सं0भू0के रूप मे दर्ज हो ा ०८०००००० 0
- 68) 30.09.15
- 69) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद के आदेश दि.08.06.16के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर की खातासं.371 पर त्रुटिवश न्यायालय तहसीलदार सदर, मुरादाबाद वादसं. T20141354015892 आदेश दि.15.09.15 दर्ज हो गया है ा की त्रुटि की शुद्धि करते हुए उक्त
- 70) आदेश खाता संख्या 252 पर अंकित कि या जाता है ा ०८०००००० 08.6.16
- 71) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद , पत्रांक 2060/न0भू0सी0/ 2016 दिनांक 30.05.16 के अन्तर्गत महबूब पुत्र श्री फे जबख्श

- निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं.-316/1589 मे धारा -45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के
- 72) आदेश दिनांक 28.02.1992के द्वारा ग्राम सोनकपुर के गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296 से 8255.88 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है , जिसके सम्बन्ध मे धारा-10(5) का नोटिस दिनांक 09.11.1993 को जारी कि या गया
- 73) तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे , अमलदरामद कि या गया , लेकि न प्रश्नगत वाद मे धारा -10 (5)के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम -1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.5.16 के द्वारा उक्त
- 74) वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है, ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्गमीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296से 8255.88वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक
- 75) श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित करें , ह0आर.के ...17.6.2016
- 76) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2060/न0भू0सी0/2016 दिनांक 30-05-16 के अन्तर्गत श्री महबूब पुत्र फैजवख्ता निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं 315/1589 मेधारा 45के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-02-1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा संख्या 296 से 8255-88वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई है जिसके सम्बन्ध मे धारा 10(5)का नोटिस दिनांक 09-11-93 को जारी किया गया तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे अमलदरामद किया गया लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा 10(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-16 के द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर की गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हों ह0आरके23-07-16
- 77) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 436/5216 सरकार बनाम छोटेलाल में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर भूधारक छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम दर्ज हों ह0आरके0 30/07/16
- 78) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/ 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 1310/5214 सरकार बनाम बालकिशन में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम अंकित हों, ह0आरके0 30/07/16
- 79) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 12.8.16के अनुपालन मे कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्रांक सं0 2219/न0भू0सी0/2016 दिनांक 12अगस्त 2016के अन्तर्गत अख्तर आदि के द्वारा इस कार्यालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0798मि0की उद्घरण खतोनी फसली वर्ष 1420फ से 1425फ प्रस्तुत की है जिसमे 0.3080हे0अर्थात 3080वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त घोषित दर्ज है सीलिंग वाद सं0 200/600सरकार बनाम अख्तर सीलिंग वाद सं0 173/599 सरकार बनाम मटरू एवं सीलिंग वाद सं0 190/602सरकार बनाम मुख्तार मे जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश 4.8.16के द्वारा भूधारक अख्तर आदि की ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 4564.25व0मी0भूमि सीलिंग से मुक्त है अतः ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 3080व0मी0भूमि जिसपर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो ा के स्थान पर श्री अख्तर ,मटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वैध वारिसो के नाम दर्ज हो ा ह0आरके0दि 12.8.16
- 80) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद कम्प्यूटर वाद सं0 टी 20151354014413धारा 210एल0आर0एक्ट ग्राम सोनकपुर गिरीश चन्द्र बनाम भानु प्रकाश शर्मा मे आदेश दि 28.9.16के अन्तर्गत वादीगण की अपील की कार्यवाही निरस्त की गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.8.2015को भी निरस्त किया गया है खतोनी वर्ष 1420फ से 1425फ के खाता सं0 371के खसरा नं0 263/1 रकबई 0.2020हे0अर्थात 2020.00वर्ग मीटर लगान वमूजीब दर्ज हो ह0आरके0दि 03.10.16
- 81) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31-01-17 के अनुपालन मे आदेश श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या टी 2016130092 धारा 219 एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 19-01-17 के अन्तर्गत गिरीश चन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि मे ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर order of lower court shall remain stayed. ह0आरके008-03-17

82) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक संख्या 2476/न0भू0सी0/2017 दिनांक 01-03-2017 के अन्तर्गत सौलिंग वाद संख्या 316/1589 सरकार बनाम श्री महबूब आदेश दिनांक 28-05-2016 /मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल रिट याचिका संख्या 854/2012 श्री महेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0सरकार में ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 रकवई 4168-41 व गाटा संख्या 547 रकवई 629-17 पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-2016 के अनुपालन में उक्त भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर महबूब अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम दर्ज हो हआरके08-03-17

83) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21-03-17 के अनुपालन में जिलाधिकारी मुरादाबादके आदेश दिनांक 15-03-17 द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 17-06-16 व 04-08-16 अपास्त किये गये है तथा पूर्व जारी कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का छोटेला अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने तथा कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का वालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 2219/न0भू0सी0/2016 दिनांक 12-10-16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 798 की 3080 वर्ग मीटर जिस पर अतिरिक्त घोषित दर्ज है के स्थान पर भूधारक श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वैध वारिसानों के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये है दिनांक 12-08-16 को वापस ले लिया गया है तदनुसार उक्त पत्रों के आधार पर भूधारकों के पक्ष में किये गये अमलदरामद के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित किया जाता है हआरके24-3-17

84) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 02-02-18 के अनुपालन में - आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं 2018/13540100557 धारा 144 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 30-01-2018 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम भानु प्रकाश शर्मा आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर वाद के निस्तारण तक मौके पर यथा स्थिति बनाये रखे हआरके19-02-18

85) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान एस0बी0तिवारी, अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या-सी0 2017/130092 धारा 219 एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 27/07/2017 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता सं0 371 के गाटा सं0 263/1 रकबा 0.202हे0 अर्थात् 2020.00 वर्ग मी0 पर परीक्षण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 24/08/15 एवं अपीलीय न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 28/09/2016 में किसी हस्तक्षेप का औचित्य न पाते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है , इस न्यायालय का स्थगन आदेश यदि कोई हो, भी निरस्त किया जाता है ह0आर0के0 ह0आर0के0 19/05/2018

86) 1428फ आदेशानुसार श्रीमान कार्यालय रा0नि0 दुष्यन्त कुमार क्षेत्र हरथला आवेदन संख्या 2020/131350071900144। राजस्व संहिता की धारा 33(2) के अन्तर्गत उत्तराधिकार आदेश दिनांक 19.11.2020 को आदेश हुआकि खाता सं0 377 पर मृतक खमानी पुत्र तुलाराम के स्थान पर हरपाल सिंह ,ज्ञानपाल सिंह पुत्रगण खमानी सिंह नि0भोगपुर मिठौनी के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह0आर0के0दि 28.12.2020

Data Digitally Signed by:RAM SINGH RAWAT(RAGISTRAR KANDONGO)  
दिनांक/समय/स्थान: 25-02-2026 11:19:13 तहसील : मुरादाबाद

यह उद्घरण सलेनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर द्वारा तैयार की गयी है तथा इस डिजिटल सिग्नेचर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : TUSHAR BHATNAGAR तहसील : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 25-02-2026 11:19:13

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खातों का वेरीफिकेशन <https://apbhilekh.gazet.in> Website पर QDRR जेनरेट अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।



## कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद

संख्या- 1002/जि०मू०व्य०सहा०/2024-25

दिनांक- 15-10-2025

विषय-

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सौनकपुर आवासीय योजना के अन्तर्गत आने वाली ग्राम समाज भूमि का, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की भूमि से विनिमय किये जाने के सम्बन्ध में।

सचिव


मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,

मुरादाबाद।

कृपया उपर्युक्त विषयक आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के निर्णय/स्वीकृति पत्र संख्या 969/आठ-28 (2024-25)/राजस्व-प्रथम दिनांक 13.10.2025 के क्रम में, ग्राम सौनकपुर, तहसील एवं जिनपद मुरादाबाद स्थित ग्राम समाज की भूमि का मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की भूमि से श्रेणी परिवर्तन/विनिमय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। उक्त पत्र के अनुसार, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को प्रस्तावित भूमि विनिमय के सापेक्ष घनराशि रूपये 24,61,700/- (चौबीस लाख इकसठ हजार सात सौ मात्र) नियमानुसार लेखा शीर्षक 0029-मुराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व जमा की जानी है।

अतएव आयुक्त महोदय का निर्णय/स्वीकृति पत्र दिनांक 13.10.2025 की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विनिमय के सापेक्ष घनराशि रूपये 24,61,700/- (चौबीस लाख इकसठ हजार सात सौ मात्र) नियमानुसार लेखा शीर्षक 0029-मुराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा कराते हुए जमा चालान की एक प्रति उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद व एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उक्त विनिमय का राजस्व अभिलेखों में अमलदराजद कराया जा सके।

संलग्न-यथोक्त।

  
(गुलाब चन्द)  
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)  
मुरादाबाद।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि-

उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद को आयुक्त महोदय के उक्त निर्णय/स्वीकृति पत्र दिनांक 13.10.2025 की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्राधिकरण से चालान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात उक्त निर्णय का अमलदराजद राजस्व अभिलेखों में कराकर उद्धरण खतानियों की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।


अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)  
मुरादाबाद।

## निर्णय / स्वीकृति

जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा अपने पत्र सं०-००९/जि०भू०व्य०सहा०/पुन०/2025-26 दिनांक 20-09-2025 संशोधित के माध्यम से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सोनकपुर आवासीय योजना के अन्तर्गत जाने वाली ग्राम समाज की ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला-मुरादाबाद की भूमि गाटा सं०-०७४मि० रकबा ०.३०८०है० में से ०.२२८०है० व गाटा सं०-०७६मि० रकबा ०.४६६०है० में से ०.२५००है० अर्थात् कुल ०.४७८०है० भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-६(२) रास्ता के रूप में दर्ज है, जो प्राधिकरण की योजना के बाउन्ड्री के अन्दर आरम्भ तो हो रही है, परन्तु समाप्त नहीं हो रही है, का ग्राम सोनकपुर/सहयाद्रि आवासीय योजना में प्राधिकरण द्वारा कय की गयी भूमि गाटा सं०-६४५अ रकबा ०.११३०है० में से ०.०१४०है०, गाटा सं०-६४७ रकबा ०.५१००है० के अपने बकदर भाग ०.४७८०है० में से ०.०९४०है०, गाटा सं०-६४९ रकबा ०.२७९०है० में से ०.०४४०है०, गाटा सं०-६५०मि० रकबा ०.१९४०है० में से ०.०९००है०, गाटा सं०-६६४अ रकबा ०.२३१०है० में से ०.१२१०है०, गाटा सं०-६६५मि० रकबा ०.०३६०है० में से ०.०२१०है०, गाटा सं०-६६६ रकबा ०.०१२०है० में से ०.००५०है०, गाटा सं०-६६८ रकबा ०.१२१०है० में से ०.०२१०है०, गाटा सं०-६६९ रकबा ०.१९४०है० में से ०.०५००है० एवं गाटा सं०-६९५ रकबा ०.१८२०है० में से ०.०१८०है० अर्थात् कुल १० कित्ता रकबा ०.४७८०है०, जो वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-१(क) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है, से किये जाने हेतु विनियम प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

उक्त विनियम प्रस्ताव के परीक्षण हेतु मण्डल स्तर पर गठित परीक्षण समिति की बैठक दिनांक ०६-१०-२०२५ को अपर आयुक्त-द्वितीय के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुयी। समिति द्वारा अपनी आख्या दिनांक ०६-१०-२०२५ उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उल्लिखित किया है कि जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा उल्लिखित किया है कि श्रेणी परिवर्तन/विनियम हेतु प्रस्तावित भूमि के किसी भाग पर कब्रिस्तान, शमशान या अन्य धार्मिक स्थल के रूप में प्रयोग नहीं है अथवा अन्य कार्य के लिये भी सुरक्षित नहीं है और न ही प्रश्नगत भूमियों के विनियम से धार्मिक उत्तेजना की आशंका है। क्षेत्रवासियों के सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है। उपरोक्त विनियम किए जाने से क्षेत्र के सुनियोजित विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। गाटा सं०-६४७ में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के साथ-साथ अन्य सहखातेदार हैं, सभी सहखातेदारों का मौके पर विभाजन है तथा अपने-अपने भाग पर काबिज है। मौके पर कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है। श्रेणी परिवर्तन/विनियम हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला-मुरादाबाद स्थित श्रेणी-६(२) रास्ते की भूमि गाटा सं०-६७४मि० रकबा ०.३०८०है० में से ०.२२८०है० व गाटा सं०-६७६मि० रकबा ०.४६६०है० में से ०.२५००है० अर्थात् कुल ०.४७८०है० की प्रचलित दर जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के आधार पर रुपये २,०६,००,०००/- (रुपये दो करोड़ छः लाख) प्रति हेक्टेयर के अनुसार रुपये ९८,४६,८००/- (रुपये अठानवें लाख छियालीस हजार आठ सौ मात्र) है तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित श्रेणी-१(क) भूमि गाटा सं०-६४५अ रकबा ०.११३०है० में से ०.०१४०है०, गाटा सं०-६४७ रकबा ०.५१००है० के अपने बकदर भाग ०.४७८०है० में से ०.०९४०है०, गाटा सं०-६४९ रकबा ०.२७९०है० में से ०.०४४०है०, गाटा सं०-६५०मि० रकबा ०.१९४०है० में से ०.०९००है०, —


...२पर



गाटा सं०-६६४अ एकवा ०.२३१०६० में से ०.१२१०६०, गाटा सं०-६६५गि० एकवा ०.०३६०६ में से ०.०२१०६०, गाटा सं०-६६६ एकवा ०.०१२०६० में से ०.००५०६०, गाटा सं०-६६८ एकवा ०.१२१०६० में से ०.०२१०६०, गाटा सं०-६६९ एकवा ०.१९४०६० में से ०.०५००६० एवं गाटा सं०-६९५ एकवा ०.१८२०६० में से ०.०१८०६० अर्थात् कुल १० किता कुल एकवा ०.४७८०६० की प्रचलित वर जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के आधार पर रुपये २,०६,००,०००/- (रुपये दो करोड़ छः लाख) प्रति हेक्टेयर के अनुसार रुपये ९८,४६,८००/- (रुपये अठानवे लाख छियासीस हजार आठ सौ मात्र) आगणित की गयी है। श्रेणी परिवर्तन/विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का भूमि प्रबन्धक समिति, सोनकपुर द्वारा भी कृपकों के हितों को दृष्टिकोण रखते हुए विनिमय किये जाने हेतु नियमानुसार प्रस्ताव पारित किया गया है। श्रेणी परिवर्तन/विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये लोक उपयोगिता और उपयुक्ता प्रमाण पत्र में उल्लिखित है कि उक्त विनिमय जनहित में उपयोगी और उपयुक्त है तथा ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली भूमि का सम्पर्क मार्ग भी उपयुक्त है एवं भविष्य में स्थानीय निवासियों को सार्वजनिक उपयोग करने में कोई बाधा नहीं होगी। परीक्षण समिति का मन्तव्य है कि जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया उक्त विनिमय प्रस्ताव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सोनकपुर आवासीय योजना के विकास हेतु किया जा रहा है, जो जनहित में है। इसलिये उक्त विनिमय को स्वीकृत किये जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक बाधा परिलक्षित नहीं होती है। अतः उक्त विनिमय शासकीय कार्यहित में किया जाना उचित प्रतीत होता है, की आख्या दी गयी है।"

अतः मैं, आज्ञनेय कुमार सिंह मण्डलायुक्त, मुरादाबाद, जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-१, उ०प्र० शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं०-३२/७४४/एक-१-२०१६-२०(५)/२०१६ दिनांक ०३ जून, २०१६ एवं शासनादेश सं०-३२/७४५/एक-१-२०१६-२० (५)/२०१६ दिनांक ०३ जून, २०१६ तथा शासन की अधिसूचना सं०-१५/२०२३/७३१/एक-१-२०२३-१-१०९९/३४/२०२३, दिनांक ०३.०८.२०२३ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रामसमाज की भूमि ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला-मुरादाबाद एवं संस्था मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की भूमि ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला-मुरादाबाद की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन कर विनिमय किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करता हूँ कि संस्था भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेगी तथा शासनादेश सं०-३२/७४५/एक-१-२०१६-२०(५)/२०१६ दिनांक ०३ जून, २०१६ में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद कलेक्टर द्वारा विनिमय में सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित की गयी घनराशि रुपये ९८,४६,८००/- का २५ प्रतिशत के बराबर घनराशि अर्थात् रुपये ९८,४६,८००/- का २५ प्रतिशत कुल रुपये २४,६१,७००/- (रुपये चौबीस लाख इकसठ हजार सात सौ मात्र) लेखा शीर्षक ००२९-भूराजस्व-८००-अन्य प्राप्तियों-०८-मालिकाना राजस्व-०८०६-प्रकीर्ण प्राप्तियों में भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व कलेक्टर द्वारा जमा कराया जायेगा।

...३पर



श्रेणी परिवर्तन/विनिमय तालिका

क्र. सं.	विनिमय में दी जानी वाली भूमि				विनिमय में ली जानी वाली भूमि			
	श्रेणी परिवर्तन पूर्व भूमि की नद्वैयता	गाटा रजि	रकबा (है० मी)	प्रभावित क्षेत्रफल (है० मी)	श्रेणी परिवर्तन पूर्व भूमि की नद्वैयता	गाटा रजि	रकबा (है० मी)	प्रभावित क्षेत्रफल (है० मी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) सरसा	874/मि	0.3080	0.2280	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	845म	0.1130	0.0140
2	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) सरसा	876/मि	0.4860	0.2600	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	847	0.5100	0.0940
3					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	849	0.2790	0.0440
4					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	850/मि	0.1940	0.0600
5					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	864म	0.2310	0.1210
6					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	885/मि	0.0360	0.0210
7					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	888	0.0120	0.0060
8					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	888	0.1210	0.0210
9					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	889	0.1940	0.0500
10					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	895	0.1820	0.0180
	02 किंता	-	-	0.4780	10 किंता	-	-	0.4780
क्र. सं.	श्रेणी परिवर्तन उपरलभ भूमि की नद्वैयता	गाटा रजि	रकबा (है० मी)	श्रेणी परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रफल (है० मी)	श्रेणी परिवर्तन उपरलभ भूमि की नद्वैयता	गाटा रजि	रकबा (है० मी)	श्रेणी परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रफल (है० मी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	874/मि	0.3080	0.2280	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) सरसा	845म	0.1130	0.0140
2	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	876/मि	0.4860	0.2600	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) सरसा	847	0.5100	0.0940
3					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) सरसा	849	0.2790	0.0440
4					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) सरसा	850/मि	0.1940	0.0600
5					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) सरसा	864म	0.2310	0.1210
6					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) सरसा	885/मि	0.0360	0.0210
7					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) सरसा	888	0.0120	0.0060
8					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) सरसा	888	0.1210	0.0210
9					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) सरसा	889	0.1940	0.0500
10					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) सरसा	895	0.1820	0.0180
	02 किंता	-	-	0.4780	10 किंता	-	-	0.4780

जिलाधिकारी, मुरादाबाद तदनुसार राजस्व अभिलेखा में संशोधन करना सुनिश्चित करें।

( आरुजनेय कुमार सिंह )  
आयुक्त।

कार्यालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

सं० 89 / आठ-28 (2024-25) रा० सहा०-प्रथम दिनांक: 15 / 10 / 2025  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र०, अनुभाग-5, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह समस्त न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण करें।
- 4- सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

आयुक्त।